कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

क्र./325/रा.वि./न.पा.नि./2018 रायगढ़, दिनांक 27/04/18

।। निविदा आमंत्रण सूचना ।।

नगर पालिक निगम, रायगढ द्वारा आगामी 03 वर्षों के लिए जोनवार सडकों के मध्य स्थित टयूबलर पोल पर कटआउट विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने हेतु पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 21/05/2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500.00 नगद जमा कर दिनांक 18/05/2018 तक कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदायें दिनांक 22/05/2018 को सायं 4:00 बजे नगर निगम, रायगढ में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा हेतु अमानती राशि के रूप में रू. 10,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. संबंधित विज्ञापन एजेंसी का जी.एस.टीन प्रमाण पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. विस्तृत निविदा सूचना तथा नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी तथा वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 325/रा.वि./न.पा.नि./2018 रायगढ़, दिनांक 27/4/18

प्रतिलिपि:-

01. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
02. प्रभारी सदस्य, राजस्व विभाग/बाजार विभाग (मेयर इन काउन्सिल) न.पा.नि., रायगढ को सूचनार्थ।
03. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम, रायगढ को सादर सूचनार्थ।
04. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर साइज 8×8 को सूचनार्थ। कृपया उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन कालम ~~02 (दो) x 08 से.मी.~~ में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित प्रेषित करें।
05. कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

स.ला.अ.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक ....

।। निविदा की नियम एवं शर्ते ।।

टयूबलर पोल पर लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड के क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

जोन क्र.	जोन के अन्तर्गत आने वाले सड़को का विवरण क्षेत्र	निगम द्वारा निर्धारित प्रीमियम (प्रति पोल) राशि रु.
01	गोगा पुल रोड से अटल चौक, कबीर चौक से उडीसा रोड, गोगा राईस मिल से मिठठुमुडा रोड एवं टांसपोर्ट नगर चौक	2500.00
03	चक्रपथ मरीन ड्राईव दोनो ओर,कलेक्ट्रेट रोड, एस.ई.सी.एल.रोड एवं अतरमुडा टी वी टावर रोड	2500.00

नियम व शर्ते :–

1. प्रत्येक जोन हेतु (तीन लिफाफा पद्धति में) पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र एवं अमानती राशि के रूप में रू. 10,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. संबंधित विज्ञापन एजेंसी का जी.एस.टीन प्रमाण पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
3. नगर पालिक निगम रायगढ के संबंधित किसी प्रकार का बकायादार को निविदा में भाग लेने का अधिकार नही होगा ।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के पास सुरक्षित होगा। इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृति होने पर सफल निविदाकर्ता को एक सप्ताह के अंदर निविदा की सम्पूर्ण राशि अग्रिम में शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. शुल्क सहित एकमुश्त जमा करना होगा तथा आगामी वर्षो हेतु 15 प्रतिशत वृद्धि किया जावेगा जिसे वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम मे शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. शुल्क सहित एकमुश्त जमा करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
6. नगर निगम, रायगढ़ स्वामित्व के उपलब्धतानुसार टयूबलर पोल पर ही विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान की जावेगी एवं निविदा स्वीकृति पश्चात निविदा की अवधि प्रारंभ मानी जावेगी ।
7. ओव्हर ब्रिज विज्ञापन मुक्त (प्रतिबंधित क्षेत्र) पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
8. प्रति पोल पर 02 कटआउट विज्ञापन बोर्ड लगाना होगा जिसका साईज प्रति बोर्ड 6 X 3 की होगी। उक्त संख्या/साईज से अधिक की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
9. छत्तीसगढ़ शासन/कलेक्टर रायगढ एवं नगर निगम द्वारा जनहित में जारी किये गये विज्ञापन को होर्डिंग्स में लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क प्रदान नही किया जावेगा।
10. भूतल से 10 फीट की ऊँचाई से ऊपर ही होर्डिंग्स बोर्ड लगाया जाना होगा।
11. विज्ञापन बोर्ड का फाउण्डेशन, डिजाईन एवं स्टेबिलिटी की जवाबदारी भी आवेदक विज्ञापन एजेन्सी संस्था व उनके इंजीनियर की होगी, जिसकी जॉच नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा जिसमें एजेंसी एवं ठेकेदार को सहयोग करना होगा।
12. विज्ञापन बोर्ड के ऊपरी एवं निचले भाग पर रेडियम युक्त लाल पट्टी की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा की जावेगी।
13. प्रस्तावित चिन्हांकित रिक्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल या किसी निजी भवन/भूमि पर बिना अनुमति होर्डिंग्स बोर्ड लगा पाये जाने पर उसे अवैध मानते हुए संबंधित विज्ञापन एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त होर्डिंग्स बोर्ड को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा एवं निविदाकर्ता की राशि एवं अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त की जावेगी, जिस पर निविदाकर्ता को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

क्रमशः – 02

14. जिला प्रशासन/पुलिस विभाग या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी को जारी की गई अनुमति निरस्त की जावेगी तथा आवेदक/संस्था द्वारा लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड को हटाया जाना बंधनकारी होगा।
15. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन बोर्ड गिरता है तथा इससे जन-धन की हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति, क्षतिपूर्ति/घटना-दुर्घटना इत्यादि के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक/विज्ञापन एजेन्सी की होगी।
16. जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से अथवा सडक चौडीकरण या अन्य आवश्यकता होने पर आवेदक संस्था/विज्ञापन एजेन्सी को जारी अनापत्ति कभी भी निरस्त की जा सकती है, जो कि आवेदक विज्ञापन एजेन्सी को स्वीकार होगी।
17. निविदा स्वीकृति होने पर एक सप्ताह के अंदर सफल निविदाकर्ता को 50/- रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर मे अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उक्त निविदा स्वमेव निरस्त समझी जावेगी एवं नवीन निविदा आमंत्रित करने का अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ को होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाली समस्त क्षति की वसूली निविदाकर्ता से की जावेगी।
18. स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था या जनहित में किसी विज्ञापन बोर्ड को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ को होगा ।
19. समय-समय पर शासन, महापौर, आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)